Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

27-2024/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2024 (PHALGUNA 1, 1945 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 20th February, 2024

No. 4-HLA of 2024/4/4565.— The Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 4-HLA of 2024

THE HARYANA HONOURABLE DISPOSAL OF DEAD BODY BILL, 2024

A

BILL

to uphold the basic human rights of dead body and for the decent final disposal of dead body in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Honourable Disposal of Dead Body Act, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "dead body" means the body of a dead human being refused to be taken by any family member for last rites or after taking is used for the purpose of remonstration;

(b) "family member" includes father, mother, wife, brother, son, daughter or any person who is related to the deceased by marriage or adoption or any family member living together in a joint family;

(c) "genetic data" means personal data related to inherited or acquired genetic characteristics of a dead body acquired through analysis of DNA or RNA;

(d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(e) "last rites" means the disposal of dead body, as per the tradition or custom of the community or religion to which the deceased belonged;

(f) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(g) "remonstration" means raising demands or baiting for pursuing any demands by way of any protest, disobedience or agitation to prevent the last rites of a dead body;

(h) "State" means the State of Haryana.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2of 1974), the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860), the Haryana Police Act, 2007 (25 of 2008) and the Haryana Anatomy Act, 1974 (24 of 1974) shall have the meaning respectively assigned to them in those Codes/Acts.

Right to last rites.

3. Without prejudice of any other law for the time being in force, every dead body shall have the right of an honourable and timely last rites.

Family member to take possession of dead body.

4. It shall be duty of the family member to take possession of the dead body and to ensure that the last rites are performed when handed over by the police or the Executive Magistrate or hospital administration, after due compliance of legal procedure provided under this Act or any other law for the time being in force:

Provided that in the event of refusal by family member to take the dead body thereby depriving it of last rites, the Executive Magistrate shall ensure that the last rites are performed immediately:

Provided further that in the event of breaking out of an epidemic or occurrence of any calamity, where the dead body of the person cannot be handed over to the family member, the Government shall issue guidelines for disposal of such dead body.

Dead body not to be used for remonstration.

5. No family member shall himself use or allow the dead body to be used or instigate or give consent to any other person or group of persons to use the dead body for remonstration of any kind.

Power of police officer to take possession of dead body.

6. (1) Whenever, an officer-in-charge of the Police Station has reason to believe from personal knowledge or otherwise, to be recorded in writing, that any dead body is likely to be used by any family member or a group of persons or is being so used, for remonstration, he shall take possession of the dead body and immediately send information to this effect to the District Superintendent of Police and the Executive Magistrate concerned.

(2) After taking possession of the dead body, the officer-in-charge of the Police Station shall send the dead body immediately for postmortem.

Power of Executive Magistrate.

7. (1) The Executive Magistrate concerned, after receiving the information under section 6, shall give a notice to a family member of the deceased for taking custody of the dead body and to perform the last rites of the dead body.

(2) Whenever, an Executive Magistrate is satisfied on a report of a police officer or the response received to the notice issued under sub-section (1) that the family member is not willing to perform the last rites of the dead body, he shall issue an order to the family member to perform the last rites of the dead body within such time, as mentioned in the order which shall not be later than twelve hours, and also to remove the unlawful obstruction, if any, from public place with immediate effect:

Provided that the Executive Magistrate may, if unlawful obstruction is removed, extend the time to perform the last rites of the dead body, if he is satisfied that the family member has sufficient cause for the same:

Provided further that if the family member does not perform the last rites of the dead body within the specified period or the extended period, the Executive Magistrate shall direct any officer of the Urban Local Body or Gram Panchayat concerned or any other officer, as he deems fit, to perform the last rites within the next twelve hours.

(3) The order made by the Executive Magistrate under sub-section (2) shall not be called in question in any court of law.

8. The hospital administration shall- *Storage of dead body.*

(a) store the dead body under safe conditions in the deep freezer to prevent any decay or damage; and

(b) ensure that the dead body is segregated based on gender and is kept in a dignified manner.

9. In every case of dead body, photographs of the deceased shall be taken and postmortem of the deceased shall be video-graphed by the hospital administration. *Videography and photography of postmortem.*

10. The genetic data information of dead body shall be obtained through DNA or RNA profiling and shall be handled carefully and confidentially. The information shall be maintained in such manner and for such period, as may be prescribed. *Protection of genetic data information.*

11. No person shall disclose any information of clinical records related to the deceased to prevent stigmatization and social criticism unless required by the law or it is in the interest of deceased. *Confidentiality of information.*

12. If a dead body remains unclaimed, the disposal shall be made in accordance with the provisions of the Haryana Anatomy Act, 1974 (24 of 1974). *Disposal of unclaimed dead body.*

13. Any person who uses a dead body for remonstration shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine upto one lakh rupees. *Punishment for remonstration.*

14. Any person, who is not authorized by law or who is so authorized but who without following due procedure or authorized by law, discloses any kind of genetic data information and confidentiality of information, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine upto one lakh rupees. *Punishment for disclosure of genetic data information and confidentiality of information.*

15. Whoever abets, attempts or conspires to commit an offence under this Act shall be punished in the same manner as if he had himself committed that offence. *Punishment for abetment, attempt or conspiracy.*

16. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), all the offences under this Act shall be cognizable and non-bailable and no police officer below the rank of Sub-Inspector shall be competent to investigate the case under this Act. *Cognizable and non-bailable.*

17. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State or any officer of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or rules made there under. *Protection of action taken in good faith.*

18. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. *Power to make rules.*

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made, be laid before the State Legislature.

19. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty: *Power to remove difficulties.*

Provided that no order under this section shall be made after expiry of a period of three years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, 'Right to Life' as enshrined under Article 21 of the Constitution of India includes within its ambit, 'the rights and dignity of the dead'. The right to dignity and fair treatment under Article 21 of the Constitution of India is not only available to a living man but also to his body after his death. Honor and respect for the dead is recognition of human dignity. Keeping in view the right and dignity of a dead person, nobody should be allowed to raise any demand or bait for pursuing any demands by way of any protest or agitation by not performing the timely last rites of a dead body. It has become necessary to ensure that no person himself uses or allows the use of a dead body for remonstration of any kind.

A legislation i.e. 'The Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024' to provide for decent and timely last rites of a dead body and, in case of family members disowning a dead body and thereby depriving it of last rites, performance of last rites by the public authority and for matters connected therewith or incidental thereto, is required. Hence, this Bill.

ANIL VIJ,
Home Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 20th February, 2024.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 18 of the Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024 provides the Government may, by notification in the official gazette make rules for carrying out the purposes of this act and every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislation. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2024 का विधेयक संख्या 4–एच०एल०ए०

हरियाणा शव का सम्मानजन निपटान विधेयक, 2024

हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक मामलों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "शव" से अभिप्राय है, किसी मृत इंसान का शरीर, जिसे परिवार के किसी सदस्य द्वारा अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने से इनकार कर दिया जाता है या ले जाने के बाद विरोध–प्रदर्शन के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है;

(ख) " ""पारिवारिक सदस्य" में शामिल हैं, पिता, माता, पत्नी, भाई, बेटा, बेटी या कोई भी व्यक्ति जो विवाह या दत्तक ग्रहण से मृतक से संबंधित है या संयुक्त परिवार में एक साथ रहने वाला परिवार का कोई सदस्य;

(ग) "आनुवंशिक डेटा" से अभिप्राय है, डी0एन0ए0 या आर0एन0ए0 के विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त शव की विरासत में मिली या से प्राप्त आनुवंशिक विशेषताओं से सम्बन्धित व्यक्तिगत डेटा;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ङ) "अंतिम संस्कार" से अभिप्राय है, उस समुदाय या धर्म की परंपरा या रीति–रिवाज, जिससे मृतक सम्बन्धित था, के अनुसार शव का अंतिम संस्कार;

(च) ""विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(छ) "विरोध–प्रदर्शन" से अभिप्राय है, किसी शव का अंतिम संस्कार करने से रोकने के लिए किसी प्रदर्शन, अवज्ञा या आन्दोलन के माध्यम से मांग करना या किसी मांग को मनवाने के लिए परेशान करना; तथा

(ज) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ।

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय का अधिनियम 45), हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) और हरियाणा शरीर–रचना विज्ञान अधिनियम, 1974 (1974 का 24) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः उन संहिताओं/अधिनियमों में दिए गए हैं।

अंतिम संस्कार का अधिकार ।

3. तत्समय लागू किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक शव को सम्मानजनक रुप से तथा समय पर अंतिम संस्कार का अधिकार होगा।

पारिवरिक सदस्य द्वारा शव का कब्जा लेना।

4. इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धित विधिक प्रक्रिया की सम्यक् अनुपालना करने के पश्चात्, परिवार के सदस्य का शव को कब्जे में लेने का कर्तव्य होगा और सुनिश्चित करेगा कि पुलिस या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या अस्पताल प्रबन्धक द्वारा शव सौंपे जाने पर अंतिम संस्कार किया गया हैः

परन्तु परिवार के सदस्य द्वारा शव ले जाने से इनकार करने की स्थिति में, जिससे वह अंतिम संस्कार से वंचित हो जाए, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या सुनिश्चित करेगा कि अंतिम संस्कार तुरन्त किया गया हैः

परन्तु यह और कि महामारी फैलने या किसी आपदा की स्थिति में, जिसमें व्यक्ति का शव पारिवारिक सदस्य को नहीं सौंपा जा सकता, तो सरकार ऐसे शव के निपटान के लिए दिशा–निर्देश जारी करेगी।

5. परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के विरोध–प्रदर्शन के लिए शव का स्वयं उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शव का उपयोग करने के लिए उकसाएगा नहीं या सहमति नहीं देगा । विरोध–प्रदर्शन के लिए शव का उपयोग नहीं किया जाना ।

6. (1) जब कभी किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास व्यक्तिगत जानकारी से या अन्यथा से लिपिबद्ध कारणों से यह विश्वास करने का कारण है कि किसी शव का उपयोग परिवार के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा विरोध–प्रदर्शन के लिए किए जाने की संभावना है या इस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, तो वह शव को अपने कब्जे में ले लेगा और इस आशय की सूचना तुरन्त सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भेजेगा । पुलिस अधिकारी की शव को कब्जे में लेने की शक्ति।

(2) शव को अपने कब्जे में लेने के पश्चात्, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी शव को तुरन्त शव–परीक्षा के लिए भेजेगा ।

7. (1) धारा 6 के अधीन सूचना प्राप्त होने के पश्चात्, सम्बन्धित कार्यकारी मजिस्ट्रेट, मृतक के परिवार के किसी सदस्य को अभिरक्षा मे लेने के लिए और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए नोटिस देगा। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति।

(2) जब कभी भी कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या उपरोक्त उप–धारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर प्राप्त प्रतिक्रिया से सन्तुष्ट हो जाता है कि पारिवारिक सदस्य शव का अंतिम संस्कार करने की इच्छुक नहीं है, तो वह परिवार के सदस्य को आदेश में यथा वर्णित समय अवधि, जो बारह घंटे से अधिक न हो, के भीतर शव का अंतिम संस्कार करने और सार्वजनिक स्थल से विधि विरुद्ध अवरोध, यदि कोई हो, को तुरन्त प्रभाव से हटाने के लिए आदेश जारी करेगाः

परन्तु यदि विधि विरुद्ध अवरोध हटा दिया गया है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि पारिवारिक सदस्य के पास ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, शव का अंतिम संस्कार करने के लिए समय अवधि को बढ़ा सकता हैः

परन्तु यह और कि यदि पारिवारिक सदस्य विनिर्दिष्ट अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर शव का अंतिम संस्कार नहीं करता है, तो अगले बारह घंटों के भीतर अंतिम संस्कार करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट शहरी स्थानीय निकाय या संबंधित ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी, जैसा वह उचित समझे, को निर्देश देगा ।

(3) उप–धारा (20 के अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश विधि के किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा।

8. अस्पताल प्रबन्धन,– शव का संचयन।

(क) सड़ने और क्षति से बचाव के लिए डीप फ्रीजर में सुरक्षित अवस्था में शव का संचयन करेगा; और

(ख) यह सुनिश्चत करेगा कि शव को लिंग के आधार पर अलग किया गया है और गरिमापूर्ण रीति में रखा गया है ।

9. शव के प्रत्येक मामले में, अस्पताल प्रबन्धन द्वारा मृतक के फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे और मृतक की शव–परीक्षा की विडियोग्राफी की जाएगी । शव–परीक्षा की विडियोग्राफी और फोटोग्राफी ।

10. शव की आनुवंशिक डेटा की सूचना, डी0एन0ए0 या आर0एन0ए0 प्रोफाईलिंग के माध्यम से प्राप्त की जाएगी और इसका रख–रखाव सावधानीपूर्वक और गोपनीय रुप से किया जाएगा। सूचना को ऐसी रीति में तथा ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के लिए अनुरक्षित किया जाएगा। आनुवंशिक डेटा की सूचना का संरक्षण ।

11. कोई भी व्यक्ति, क्षतांकन और सामाजिक आलोचना से बचने के लिए मृतक से सम्बन्धित नैदानिक रिकार्ड की किसी सूचना को तब तक प्रकट नहीं करेगा, जब तक विधि द्वारा अपेक्षित न हो या यह मृतक के हित में न हो। सूचना की गोपनीयता ।

अदावाकृत शव का निपटान।

12. यदि कोई शव अदावाकृत रहता है, तो उसका निपटान हरियाणा शरीर– रचना विज्ञान अधिनियम, 1974 (1974 का 24) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

विरोध–प्रदर्शन के लिए दण्ड ।

13. कोई व्यक्ति, जो शव का उपयोग विरोध–प्रदर्शन करने के लिए करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और एक लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

आनुवंशिक डेटा सूचना तथा गोपनीयता की सूचना के प्रकटीकरण के लिए दण्ड ।

14. कोई व्यक्ति, जो विधि द्वारा प्राधिकृत न हो या जो इस प्रकार प्राधिकृत हो किन्तु जो उचित प्रक्रिया अपनाए बिना या विधि द्वारा प्राधिकृत, किसी आनुवंशिक डेटा सूचना तथा गोपनीयता की सूचना को प्रकट करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा तथा एक लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

दुष्प्रेरण, प्रयास या षड्चंत्र के लिए दण्ड ।

15. जो कोई भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण, प्रयास या षड़यंत्र करता है, तो उसी रीति में दण्डित किया जाएगा मानो उसने स्वयं वह अपराध किया हो ।

संज्ञेय तथा अजमानतीय ।

16. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे तथा कोई भी पुलिस अधिकारी, जो उप–निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन मामले की जांच करने के लिए सक्षम होगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।

17. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

18. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा ।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

19. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रुप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित 'जीवन का अधिकार के दायरे में 'मृतकों के अधिकार और सम्मान' भी शामिल हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी प्राप्त है। मृतकों के प्रति आदर और सम्मान मानवीय गरिमा की पहचान है। मृत व्यक्ति के अधिकार और सम्मान को ध्यान में रखते हुए किसी को भी मृत शरीर का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी विरोध या आंदोलन के माध्यम से किसी भी मांग को उठाने या आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन के लिए किसी शव का स्वयं उपयोग न करे या उपयोग करने की अनुमति न दे।

यह विधेयक यानी 'हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान अधिनियम, 2024' एक मृत शरीर के गरिमापूर्ण और समय पर अंतिम संस्कार के लिए प्रावधान करता है और यदि परिवार के सदस्य किसी शव को अस्वीकार कर देते है और जिससे वह अंतिम संस्कार से वंचित हो जाता है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह आवश्यक है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

अनिल विज,
गृह मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 20 फरवरी, 2024.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

'हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान अधिनियम, 2024' के खंड 18 की धारा की अपेक्षा अनुसार राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को पहले जैसे ही बनाया जाएगा, उसके बाद राज्य विधान सभा में रखा जाएगा। इसलिए, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन आवश्यक रूप से प्रत्यायोजित कानून के बारे में ज्ञापन।

10903—H.V.S.—H.G.P., Pkl.